विविध बैंक प्र0सं0 55/2017 भारतीय स्टेट बैंक शाखा मिरजेवाला, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय जवाहर नगर, श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1–श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह स्थित प्लाट न0 03 एवं 69 चक 24 एफ ग्राम पंचायत 25 एफ वार्ड न0 9 पोस्ट ऑफिस 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>12.03.2018</u>

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस दिनांक 06.02.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह स्थित प्लाट न0 03 एवं 69 चक 24 एफ ग्राम पंचायत 25 एफ वार्ड न0 9 पोस्ट ऑफिस 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 22,59,000/–रूपये (अखरे बाईस लाख उनसठ हजार मात्र) ऋण दिनांक 29.05.2014 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ने अपनी सम्पति 1–प्लाट न0 69 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100 व 2–प्लाट न0 03 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100 को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नियमित रूप से नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 28.10.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह की ओर दिनांक 16.11.2016 तक ऋण राशि 22,28,104.46/–रूपये (ब्याज दिनांक 30.09.2016 तक) एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 16.11.2016 को रजि0 डाक से भिजवाया गया। पोस्ट ऑफिस प्रमाणीकरण दिनांक 30.03.2017 व 06.12.2017 के अनुसार रजि0 डाक अप्रार्थी को दिनांक 26.11.2016 को प्राप्त हो चुकी है। धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थी ऋणी श्री मनजीत सिंह थिंड को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवाई जाकर परिणाम स्वरूप नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में अपना कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गयी सम्पति 1–प्लाट न0 69 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100 व 2–प्लाट न0 03 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100 का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह स्थित प्लाट न0 03 एवं 69 चक 24 एफ ग्राम पंचायत 25 एफ वार्ड न0 9 पोस्ट ऑफिस 25 ऐफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर–ऋणी को ऋण सुविधा के रूप में 22,59,000/– रूपये (अखरे बाईस लाख उनसठ हजार मात्र) ऋण दिनांक 29.02.2014 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ने अपनी सम्पति 1–प्लाट न0 69 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100 व 2–प्लाट न0 03 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100 को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 16.11.2016 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस जारी किया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा मांग सूचना के उत्तर में न तो कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और न ही प्रार्थी बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह स्थित प्लाट न0 03 एवं 69 चक 24 एफ ग्राम पंचायत 25 एफ वार्ड न0 9 पोस्ट ऑफिस 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस दिनांक 16.11.2016 को भिजवाया गया। पत्रावली में उपलब्ध पोस्ट ऑफिस के डाक वितरण के प्रमाणीकरण दिनांक 29.03.17 व संशोधन प्रमाणीकरण दिनांक 06.12.17 के अनुसार रजि0 डाक से भिजवाया गया नोटिस दिनांक 26.11.2016 को अप्रार्थी को वितरित किया जा चुका है। प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थी श्री ऋणी मनजीत सिंह थिंड को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवाया गया है परिणाम स्वरूप नोटिस पर श्री मनजीत सिंह के नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर उपलब्ध है। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को उक्त धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण की ओर से मांगपत्र के उत्तर में अपना कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत नही किया और न ही अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गयी सम्पति 1–प्लाट न0 69 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100 व 2–प्लाट न0 03 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा इण्डस्ट्रीज एरिया, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय जवाहरनगर, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी श्री मनजीत सिंह थिंड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह स्थित प्लाट न0 03 एवं 69 चक 24 एफ ग्राम पंचायत 25 एफ वार्ड न0 9 पोस्ट ऑफिस 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गयी सम्पति 1—प्लाट न0 69 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100 व 2—प्लाट न0 03 चक 24 एफ वार्ड न. 09, पोस्ट ऑफिस 25 एफ, ग्राम पंचायत 25 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर साईज 100 इन्टू 100 का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर